



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2360]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2016/आश्विन 7, 1938

No. 2360]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2016/ ASVINA 7, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2016

का.आ. 3078(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 145 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 892(अ) तारीख 31 मार्च, 2015 को सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[अधिसूचना सं. 86/2016/फा. सं. 133/23/2015-टीपीएल]

पितम्बर दास, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2016

S.O. 3078(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 145 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 892(E) dated the 31st March, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[Notification No. 86/2016/F. No.133/23/2015-TPL]

PITAMBAR DAS, Director (Tax Policy and Legislation)